

## कार्यालय जिला परिषद, धौलपुर (राजस्थान)

दिनांक: 26/03/2021


क्रमांक : जिपधौ./संस्था/2020-21/1737-40

### -: विज्ञप्ति :-

शासन सचिव एवं आयुक्त, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग (पंचायती राज) के पत्र क्रमांक:-एफ 28( ) पंरावि/प्रशा-2/ग्राविअ/रिक्त पद(नि.)/2021/326 जयपुर दिनांक 02.02.2021 के निर्देशों की पालना में ग्राम विकास अधिकारी (ग्राम सेवक) के रिक्त पदों पर सेवानिवृत्त ग्राम सेवकों की सेवाएँ समेकित पारिश्रमिक के आधार पर लिये जाने हेतु दिनांक 12.04.2021 तक आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं:-

क्र. सं.	सेवा/पद का नाम	पदस्थापन का माध्यम	योग्यता	मानदेय प्रति माह	रिक्त पदों की संख्या
1	ग्राम विकास अधिकारी	संविदा पर	सेवानिवृत्त ग्राम विकास अधिकारी जिसकी उम्र 65 वर्ष से अधिक न हो।	नियमानुसार	68

नोट:-उक्त विज्ञप्ति का विस्तृत विवरण तथा आवेदन फॉर्म जिले की वेबसाइट [www.dholpur.rajasthan.gov.in](http://www.dholpur.rajasthan.gov.in) से डाउनलोड कर प्राप्त किये जा सकते हैं।



(चेतन चौहान)  
मुख्य कार्यकारी अधिकारी  
जिला परिषद धौलपुर

क्रमांक:सम/1737-40

दिनांक:- 26/03/2021

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

- श्रीमान शासन सचिव एवं आयुक्त ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग (पंचायती राज) शासन सचिवालय, जयपुर।
- एसीपी (उपनिदेशक), सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग धौलपुर को भेजकर लेख है कि इस विज्ञप्ति पत्र प्रारूप को जिले की वेबसाइट [www.dholpur.rajasthan.gov.in](http://www.dholpur.rajasthan.gov.in) पर लिंक देकर अपलोड कराने का श्रम करावें। आवेदन पत्र प्रारूप संलग्न प्रेषित है।
- सूचना एवं जन सम्पर्क अधिकारी धौलपुर को प्रति भेज कर निर्देशित किया जाता है कि उक्त विज्ञप्ति को राजस्थान पत्रिका एवं दैनिक भास्कर के समाचार पत्र में स्थानीय संस्करण में न्यूनतम साईज ( फोन्ट 9) में प्रकाशित करावें।
- नोटिस बोर्ड चस्पा हेतु .....



(चेतन चौहान)  
मुख्य कार्यकारी अधिकारी  
जिला परिषद धौलपुर

राज्य सरकार से सेवानिवृत्त अधिकारियों/कर्मचारियों की समेकित पारिश्रमिक पर पुनर्नियुक्ति सेवा में अभिवृद्धि हेतु प्रस्ताव भेजने के लिए निर्धारित प्रपत्र

7

विभाग/कार्यालय: \_\_\_\_\_  
सेवा का नाम: \_\_\_\_\_

1. सेवानिवृत्त कर्मचारी/अधिकारी का नाम : \_\_\_\_\_
2. सेवा का नाम, जिससे संबंधित है : \_\_\_\_\_
3. जन्म तिथि और अंतिम आधरित वेतन : \_\_\_\_\_
4. अधिवापेकी की आयु प्राप्त करने की तारीख : \_\_\_\_\_
5. मूल विभाग का नाम : \_\_\_\_\_
6. सेवानिवृत्ति के सागय धारित पद : \_\_\_\_\_
7. धारित पद का वेतनमान (सेवानिवृत्ति के समय) : \_\_\_\_\_
8. अनुभव: \_\_\_\_\_
9. सेवानिवृत्ति के समय मूल वेतन (रनिंग पे ब्रेण्ड वेतन + ग्रेड पे) (एलपीसी संलग्न है): \_\_\_\_\_
10. मूल पेंशन राशि (पीपीओ की प्रति): \_\_\_\_\_
11. सेवानिवृत्त अधिकारी/कर्मचारी की जिस रिक्त पद विरुद्ध सेवाएं ली जानी है, का विवरण तथा उस पद के रिक्त रहने एवं नियमानुसार भरे जाने में विलम्ब के कारण: \_\_\_\_\_
12. सेवानिवृत्त कार्मिक की रिक्त पद/पदों के विरुद्ध समेकित पारिश्रमिक पर पुनर्नियुक्ति से किसी अन्य कार्मिक की पदोन्नति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा अथवा नहीं? तथ्यों सहित रिथति स्पष्ट करें: \_\_\_\_\_
13. स्वीकृत एवं रिक्त पदों का विवरण \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_
14. भर्ती का तरीका(सीधी भर्ती या पदोन्नति) \_\_\_\_\_  
यदि पदोन्नति द्वारा :-  
(1) अंतिम नियमित चयन कब किया गया था \_\_\_\_\_  
(2) पदोन्नति के लिए पात्र वरिष्ठतम व्यक्ति उपलब्ध है या नहीं? \_\_\_\_\_  
(3) नियमित चयन के लम्बित रहने के दौरान पदोन्नति के लिए पात्र वरिष्ठतम व्यक्तियों में से कुछ स्थापन्न नियुक्ति संभव है या नहीं? \_\_\_\_\_
15. रिक्त पद के विरुद्ध समेकित पारिश्रमिक पर पुनर्नियुक्ति सेवाएं कब से ली जानी प्रारम्भ की गई (आदेश की प्रति संलग्न) तथा इस पुनर्नियुक्ति सेवा को कब से कब तक बढ़ाया गया (आदेश की प्रति संलग्न)
16. वह कालावधि जिसके लिए समेकित पारिश्रमिक पर पुनर्नियुक्ति सेवाओं में अभिवृद्धि की जानी है: \_\_\_\_\_
17. समेकित पारिश्रमिक पर पुनर्नियुक्ति सेवाओं में अभिवृद्धि का विस्तृत औचित्य:- \_\_\_\_\_

हस्ताक्षर

सक्षम/नियुक्ति प्राधिकारी मय सील